राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

12 FEB 2015

क्रमांक : प. 1(191)एमई/ग्रुप–1/13 जयपुर, दिनांक :

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(117)एमई/ग्रुप–1/05 दिनांक 25.9.2013 के द्वारा डॉ0 गोविन्द शर्मा (जन्म तिथि 01–9–1977) मेरिट क्रमांक–एम/1 की नियुक्ति सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर मेडिकल कॉलेज, कोटा में कार्यभार ग्रहण तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की गई थी। नियुक्ति आदेश के क्रम में कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि बाबत डॉ0 गोविन्द शर्मा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के आधार पर उनके कार्यभार ग्रहण काल में अधिकतम 06 माह की अभिवृद्धि गई थी।

इस समयाविध में भी डॉ0 शर्मा द्वारा मेडिकल कॉलेज, कोटा में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया एवं नियुक्ति आदेश निरस्त नहीं करने बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 3228/2014 डॉ0 धर्मेन्द्र जांगिड़ व अन्य बनाम सरकार व अन्य (जिसमें डॉ0 गोविन्द भी याचिकार्थी है) दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रिट पिटीशन में पारित निर्णय दिनांक 08.9.2014 के द्वारा आदेश प्रदान किये गये कि–"In that view of the matter, writ petition is disposed of directing the respondents to give posting to the petitioners within fortnight. Stay application as well as Application No. 39193/2014 also stand disposed of."

जिसके क्रम में डॉ0 गोविन्द शर्मा के पुनः नियुक्ति आदेश क्रमांक प. 1(191)एम.ई./ ग्रुप–1/2013 दिनांक 24.11.2014 जारी किये गये। इस प्रकार माननीय न्यायालय के आदेश की पालना पूर्ण की गई। इस आदेश के द्वारा इनका पदस्थापन सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में किया गया था तथा कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये।

उक्त आदेश के क्रम में कार्यभार ग्रहण काल में एक माह अभिवृद्धि बाबत डॉ0 गोविन्द शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2014 के द्वारा निवेदन किया गया। इनके निवेदन पर कार्यभार ग्रहणकाल दिनांक 24.12.2014 तक बढ़ाया गया। उक्त तिथि पर भी डॉ0 गोविन्द द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कर प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2014 के द्वारा कार्यभार ग्रहण काल में एक माह और अभिवृद्धि किये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2014 को निरस्त कर निर्देशित किया गया कि नवपदस्थापित स्थान पर दिनांक 23.01.2015 तक आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करे। साथ ही यह भी अंकित किया गया कि आप द्वारा पदस्थापित स्थान पर दिनांक 23.01.2015 तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जावेगा तो उक्त अवधि के पश्चात् नियमानुसार नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के पत्रांक प. 44(स्था.राज) सपआम/44 दिनांक 04–02–2015 के द्वारा अवगत कराया गया है कि डॉ0 गोविन्द शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 शर्मा राज्य की राजकीय सेवा करने के इच्छुक नहीं है।

अतः डॉ0 गोविन्द शर्मा के द्वारा नवनियुक्ति पर सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर निर्धारित समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप उनका नियुक्ति आदेश क्रमांक प. 1(117)एम.ई./ ग्रुप–1/05 दिनांक 25.9.2013 एवं आदेश क्रमांक प. 1(191)एम.ई./ग्रुप–1/2013 दिनांक 24.11.2014 एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आदेश से,

(सम्पत मल लोढ़ा)
शासन उप सचिव

क्रमशः– 2

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 7(14)भर्ती/गोपनीय/2010-11/103 दिनांक 30.5.2013 के क्रम में।
5. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा/बीकानेर।
6. डॉ0 गोविन्द शर्मा, ए-212, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.)- 302018 **को रजिस्टर्ड ड़ाक से।**
7. श्री पी.पी. तिवाड़ी, सहायक प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर प्रचारित करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(धन्ना लाल)
शासन सहायक सचिव